न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2022

उनवान

1 बाबूलाल पुत्र प्रभात जाति मीणा निवासी हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
प्रार्थी

बनाम

1 निदेशक राजस्थान आयुर्वेद विभाग अशोक मार्ग सावित्री कॉलेज चौराहा अजमेर जिला अजमेर राजस्थान
2 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद हनुतियां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
3 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 18.4.22

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 689 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम तिया तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थी खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी की भूमि के दक्षिण दिशा आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.27 है0 च 647 रकबा 0.03 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि थत है । प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 689 में आराजी खसरा नम्बर 534 मुख्य सडक से अप्रार्थी की मे खसरा नम्बर 647/3 व 646 में से होकर आने जाने हेतु नया मार्ग खोलने का आशय रखते हुए यह र्थना पत्र पेश किया गया है तथा यह भी जाहिर किया है कि इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि में पहुँच र्ग नहीं है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार हपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट पत्र कमांक रीडर/2022/ । दिनांक 3.3.2022 के द्वारा प्रेषित की गई जिसमें जाहिर किया गया कि खसरा नम्बर 689 वाके ग्राम तिया के मौके पर पहुंचने हेतु चाहा गया रास्त उपयुक्त है । रास्ते हेतु ख0नं0 646 में 30 मीटर लम्बा 9 मीटर चौडा व ख0नं0 647/3 में 28 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा रास्ता उचित है । इस प्रकार रा नम्बर 646 में 270 वर्गमीटर व ख0नं0 647/3 में 252 वर्गमीटर कुल 522 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु है तथा बदले में लगती हुई भूमि प्रार्थी देना चाहता है । आवेदक की खातेदारी में आने जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं होना भी तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में अंकन किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से देशक आयुर्वेद विभाग जयपुर अ क्षेत्र ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर किया कि उक्त त रास्ता हेतु अन्य खातेदार के द्वारा भी पूर्व मे रास्ता चाहा गया था लेकिन विभाग के द्वारा रास्ता से मना कर दिया गया था तथा अब रास्ता दिया जावेगा तो अन्य खातेदार भी रास्ता की मांग करेगें ही यह भी जाहिर किया कि ख0नं0 647/3 जिसका रकबा 0.03 है0 भूमि ही है में से दोनो तरफ ा दिये जाने के बाद कितनी भूमि बचेगी यह भी परीक्षणीय है। अन्त में अप्रार्थीगण ने अपने जवाब ना पत्र में जाहिर किया कि यदि सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ता दिया जाता है तो विभाग को कोई त्ति नहीं है। वकील प्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र की नकल दी जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया । ल प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रस्तावित भूमि रास्ते के लिए चाही गई है जो सार्वजनिक आम रास्ता । तथा विभाग को प्रार्थी अपनी भूमि में से रास्ते में आई भूमि उतनी भूमि देने की सहमति पूर्व में ही ा पत्र में पेश की जा चुकी है जिससे विभाग की भूमि यथावत रहेगी मात्र प्रार्थी की भूमि में पहुँच मार्ग भूमि हेतु आवेदन किया गया है जो सार्वजनिक आम रास्ता की भूमि रहेगी । अतः प्रार्थी की भूमि में मार्ग हेतु तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार 522 वर्गमीटर भूमि रास्ता दर्ज करने तथा प्रार्थी की खसरा नम्बर 689 में से खसरा नम्बर 646 के लगते हुए भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश करने का निवेदन किया ।

हमने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं वकील की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की भूमि में पहुँच मार्ग एक मात्र

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रस्तावित भूमि ही है तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में यही जाहिर किया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य ओर कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी के द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी के बदले में उतनी ही भूमि अपनी भूमि में से देने हेतु सहमत है जिससे अप्रार्थीगण की भूमि भी कम नहीं होकर यथावत रहेगी तथा रास्ता दर्ज होने पर सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा जिसमें प्रार्थी/अप्रार्थीगण व अन्य सार्वजनिक आम के लिए रास्ता भी उपलब्ध रहेगा । प्रकरण का गहनता से परीक्षण करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण को रास्ता हेतु अपनी भूमि देकर उसके लगती हुई प्रार्थी की भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की भूमि का रकबा भी यथावत रहेगा साथ ही सार्वजनिक आम रास्ता भी मिलेगा जो सभी के लिए उपयुक्त है।उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुतिया हसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.27 है0 में से 30 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा र्थात 270 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 647/3 रकबा 0.03 है0 में से 28 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा र्थात 252 वर्गमीटर कुल 522 वर्गमीटर भूमि मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के नुसार गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने के तथा प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 689 रकबा 0.65 है0 वाके ाम हनुतिया में से 522 वर्गमीटर भूमि खसरा नम्बर 646 के लगती हुई अप्रार्थी आयुर्वेद विभाग के नाम र्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट निर्णय का जुज रहे । तदानुसार राजस्व कार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद हो । तहसीलदारी शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.4.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान